राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

सत्यमेव जयते

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2745/SEIAA/2021
Date: 7/1/22

प्रति,

1. श्री वेंकटेशवर सिंह रघुवंशी
पिता श्री सूरज प्रकाश रघुवंशी,
ग्राम परवलिया, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)–464001

2. श्रीमती स्वाति नामदेव,
मेसर्स जी.एस.एम. इन्टरप्राईजेज
200, ए–सेक्टर, न्यू अशोक गार्डन, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र. 8681 / 2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री वेंकटेशवर सिंह रघुवंशी पिता श्री सूरज प्रकाश रघुवंशी, ग्राम परवलिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)–464001 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.0 हेक्टेयर, विस्तार उत्पादन क्षमता 6840 से 36181 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 556 / 2, ग्राम कांचीखेड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 699वी SEIAA बैठक दिनांक 29.12.2021 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 536वी बैठक दिनांक 17.12.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक / आरक्यूपी / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 536वीं बैठक दिनांक 17.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन अभिप्रमाणित कराकर जमा किया गया है जिसमें सभी शर्तो का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का परिपालन ना किये जाने के स्पष्टीकरण हेतु SEIAA के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं आरक्यूपी के द्वारा एक माह की समयावधि में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार संबंधितों को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयानुसार एक माह की समयावधि में SEIAA समिति के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी